

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 734]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2025 — भाद्र 27, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्र. 6242/डी. 135/21-अ/प्रारू. /छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-08-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025.

विषय सूची

| खण्ड | विवरण |
|------|------------------------------------|
| 1 | संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ |
| 2 | परिभाषाएं |
| 3 | फंड की स्थापना |
| 4 | फंड का उद्देश्य |
| 5 | फंड का संरक्षण |
| 6 | फंड में योगदान |
| 7 | फंड का प्रबंधन |
| 8 | फंड का उपयोग |
| 9 | फंड का निवेश |
| 10 | निगरानी और प्रतिवेदन |
| 11 | फंड का लेखा परीक्षण |
| 12 | नियम बनाने की शक्ति |
| 13 | कठिनाईयों का निराकरण |
| 14 | निरसन और व्यावृत्ति |

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025.

राज्य के राजस्व, खनिज संपदा एवं अन्य युक्तिपूर्ण परिसंपत्तियों के कुशल प्रबंधन द्वारा राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रोथ स्टेबिलिटी फंड का गठन किये जाने तथा इससे संबंधित और अनुषांगिक विषयों के लिए प्रावधान किये जाने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिह्नरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

| | |
|--|---|
| 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025 कहलाएगा। | संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. |
| (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। | |
| (3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखे नियत की जा सकेंगी। | |
| 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,— | परिभाषाएँ. |
| (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025; | |
| (ख) "बजट" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें उस वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय शामिल होते हैं; | |
| (ग) "संचित निधि" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संचित निधि; | |
| (घ) "वित्त विभाग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन का वित्त विभाग; | |

- (ङ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन से है;
- (च) "ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन राजस्व, खनिज संपदा और परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त वित्तीय संस्था;
- (छ) "निर्धारित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित;
- (ज) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष।

3. (1) एक फंड की रथापना की जाएगी जिसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड कहा जाएगा, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

(2) फंड का स्वामित्व राज्य शासन के पास होगा और इसका प्रबंधन इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) यह फंड एक अलग कानूनी पहचान रखेगा और इसे राज्य के संचित निधि से पृथक रूप से संचालित किया जाएगा।

फंड की स्थापना।

4. निधि के उद्देश्य होंगे—

(अ) राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता एवं वित्तीय निरंतरता सुनिश्चित करना।

(ब) राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि/कमी का समुचित प्रबंधन करना और आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

(स) निवेश से प्राप्त लाभों को पुनः प्राप्त करना एवं राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

फंड का उद्देश्य।

5. फंड का संरक्षण राज्यपाल की ओर से, वित्त विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा।

फंड का संरक्षण।

6. फंड को निम्नलिखित स्रोतों से राशि प्राप्त होगी:-
 (1) खनिज संसाधनों से प्राप्त पिछले वर्ष यी राजारच प्राप्तियाँ का न्यूनतम 1% और अधिकतम 5%।
 (2) फंड में जगा राशि को निवेश से प्राप्त लाभ।
 (3) कोई अन्य स्रोत जो समय-समय पर निर्धारित किए जाएं।

7. (1) फंड का प्रशासन एवं प्रबंधन फंड मैनेजर द्वारा किया जाएगा। फंड मैनेजर की नियुक्ति और निवेश के दिशा-निर्देश इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित नियमों द्वारा शासित होंगे जिन्हें शासन द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
 (2) फंड मैनेजर इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार फंड में प्राप्त राशि को निवेश करेगा और फंड से संबंधित लेन-देन का पृथक लेखा रखेगा।
 (3) फंड मैनेजर प्रतिभूतियों पर अर्जित लाभांश एकत्र करने की व्यवस्था करेगा तथा उससे संबंधित नियत तारीख पर फंड में जमा करेगा।
 (4) कमीशन और अन्य आकस्मिक प्रभार जैसे ब्रोकरेज और लेन-देन शुल्क छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे, और तदनुसार डेबिट किये जायेंगे।
 (5) फंड मैनेजर समय-समय पर फंड की शेष राशि, निवेश और लेन-देन की रिपोर्ट वित्त विभाग को देगा, जैसा की विहित किया जाये।

8. (1) फंड का उपयोग नियन्त्रक एवं महालेखाकार के स्थायी आदेश के नियमावली में परिभासित अनुसार केवल राज्य की पूर्जीगत व्यय के लिए किया जाएगा।

(2) यदि शासन आवश्यक समझे, तो विगत वर्ष तक निवेश पर अर्जित आय का अधिकतम 25% पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

(3) मूल कॉर्पस से कोई आहरण केवल उस वर्ष की जा सकेगी जब खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व में 10% या उससे अधिक की कमी हो। ऐसी स्थिति में भी एक वित्तीय वर्ष में मूल कॉर्पस का अधिकतम 10% राशि ही आहरित की जा सकेगी।

9. (1) फंड का निवेश इस प्रकार किया जाएगा कि दीर्घकालिक फंड का निवेश, लाभ अधिकतम हो तथा पूंजी की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

(2) विस्तृत निवेश दिशा-निर्देश, अनुमत्य निवेश, विविधता रणनीति, जोखिम प्रबंधन और प्रदर्शन की निगरानी, पृथक से जारी किया जायेगा।

(3) इन दिशा-निर्देशों का समय-समय पर समीक्षा कर, आवश्यकता अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

10. (1) फंड के सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी। निगरानी और प्रतिवेदन.

(2) फंड के निवेश प्रदर्शन की नियमित निगरानी मानक सूचकांकों और लक्ष्यों के अनुसार की जाएगी।

(3) फंड की निवेश गतिविधियों, प्रदर्शन एवं रणनीति में प्रमुख परिवर्तनों पर आधारित एक वार्षिक निवेश रिपोर्ट तैयार कर राज्य विधानसभा को प्रस्तुत की जाएगी।

11. फंड के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण राज्य के महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। लेखा रिपोर्ट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। फंड का लेखा परीक्षण.

12. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की नियम बनाने की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी ।

(2) नियमों में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हो सकते हैं:

(क) फंड में आवंटित की जाने वाली राजस्व प्रतिशतता ।

(ख) निवेश दिशा-निर्देश एवं जोखिम प्रबंधन नीतियाँ ।

(ग) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अन्य सभी आवश्यक विषय ।

(3) फंड के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित नियम शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे ।

13. यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र के आदेश प्रकाशित कर इस अधिनियम से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जैसी कि कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक तथा सभीचीन हो ।

14. इस अधिनियम से असंगत सभी पूर्व प्रावधान निरस्त माने जाएंगे, परंतु पूर्व कानूनों के अंतर्गत की गई सभी कार्यवाहियाँ वैध मानी जाएंगी ।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्र. 6242/डी. 135/21-अ/प्रारू. /छ.ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 26 of 2025)

THE CHHATTISGARH STATE GROWTH AND STABILITY FUND ACT, 2025.

INDEX

SECTION

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Constitution of the Fund.
4. Objective of the Fund.
5. Custody of the Fund.
6. Contributions to the Fund.
7. Management of the Fund.
8. Utilization of the Fund.
9. Investment of the Fund.
10. Monitoring and Reporting.
11. Audit of the Fund.
12. Power to make rules.
13. Power to remove difficulties.
14. Savings.

CHHATTISGARH ACT**(No. 26 of 2025)****THE CHHATTISGARH STATE GROWTH AND STABILITY FUND
ACT, 2025.**

An Act to establish State Growth and Stability Fund to ensure the long-term economic stability and sustainable development of the State of by efficiently managing revenues, mineral wealth, and other strategic assets and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows: -

1. (1) This Act may be called The Chhattisgarh State Growth and Stability Fund Act, 2025. **Short title,
extent, and
commencement.**
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates for different provisions may be appointed.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,- **Definitions.**
(a) “**Act**” means The Chhattisgarh State Growth and Stability Fund Act, 2025;
(b) “**Budget**” means the annual financial statement presented by the State Government detailing the estimated receipts and expenditures for the financial year;
(c) “**Consolidated Fund**” means the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh;
(d) “**Finance Department**” means the Finance Department of the Government;

(e) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(f) "**Growth and Stability Fund**" means the fund constituted under this Act for the purpose of managing revenues, mineral wealth and other assets;

(g) "**Prescribed**" means as prescribed by rules made under this Act.

(h) "**Year**" means the financial year.

3. (1) There shall be constituted a fund to be called the Chhattisgarh State Growth and Stability Fund for the purpose of ensuring long-term economic growth and fiscal stability. **Constitution of the Fund.**

(2) The Fund shall be owned by the State Government and managed as per the provisions of this Act and Rules made thereafter.

(3) The Fund shall have a distinct legal identity and shall be managed separately from the Consolidated Fund of the State.

4. The objectives of the Fund shall be,- **Objectives of the Fund.**

- (a) to ensure long-term economic stability and fiscal sustainability of the State.
- (b) to manage cyclical revenue fluctuations and provide a financial cushion during economic downturns.
- (c) to redeem the benefits of investment and to meet the developmental needs of the State.

5. The Fund shall be held on behalf of the Governor, by the Secretary to Government in the Finance Department **Custody of the Fund.**

6. The Fund shall receive its corpus from the following sources:- **Contributions to the Fund**

- (1) Minimum 1% and maximum 5% of last year's revenue receipt from mineral resources.
- (2) Returns from investments made by the Fund.
- (3) Any other sources as may be prescribed by the State Government, from time to time.

7. (1) The Fund shall be administered and managed by the Fund Manager. The appointment of Fund Manager and guidelines for investment shall be governed by the rules, notified under this act, to be approved by the Government. **Management of the Fund.**

- (2) The Fund Manager shall invest the accretions to the Fund in accordance with Section 9 of this Act, and shall maintain separate accounts and scrolls for transactions pertaining to the Fund, to ensure distinction from general transactions of the Government.
- (3) The Fund Manager shall arrange to collect interest on the securities and credit the same to the Fund on the respective due dates.
- (4) The commission and other incidental charges such as brokerage and transaction fees shall be borne by Chhattisgarh State Growth and Stability Fund itself and debited accordingly.
- (5) The Fund Manager shall submit periodic

statements of balances, investments, and transactions to the Finance Department, as may be prescribed.

8. (1) The Fund shall be utilized only for the capital expenditure in the State. **Utilization of the Fund.**

(2) Maximum 25% of the last year annual returns on investments in the fund may be utilised for capital expenditure, if the Government considers it necessary.

(3) No withdrawal from the principal corpus shall be made except in a year when revenue receipt from mineral resources decreases 10% or more from previous year's revenue receipt of mineral resources, subject to maximum 10% withdrawal from principal corpus in one Financial Year.

9. (1) The investment of the Fund shall be conducted in a manner that maximizes long-term returns while ensuring the preservation of capital and prudent risk management. **Investment of the Fund.**

(2) The detailed investment guidelines, including permissible investments, diversification strategies, risk management practices, and performance monitoring, shall be issued separately.

(3) These guidelines shall be reviewed periodically and updated as necessary to align with the Fund's objectives and changing market conditions.

10. (1) The Fund shall maintain complete transparency in **Monitoring and Reporting.** all its operations.

(2) The Fund's investment performance shall be

monitored regularly against established benchmarks and performance targets.

(3) An annual investment report shall be prepared and submitted to the State Legislature, detailing the Fund's investment activities, performance, and any significant changes in investment strategy.

11. The accounts of the Fund shall be audited annually by the Accountant General of the State. The audit report shall be submitted to the State Legislature and made publicly available. **Audit of the Fund.**

12. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. **Power to make rules.**

(2) Such rules may provide for,-

- (a) The percentage of revenue to be allocated to the Fund
- (b) Investment guidelines and risk management policies
- (c) Any other matter necessary for the effective implementation of this Act.

(3) Rules for the Management and Usage of the Fund shall be notified by the Government under this Act.

(4) Every rules, order, notification or guidelines made or issued by the State Government under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the State Legislative Assembly.

13. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order published in the Official Gazette, make such

provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it be necessary or expedient for removing the difficulties.

14. Any existing provisions inconsistent with this Act shall stand repealed, but all actions taken under previous laws shall remain valid.

**Repeal and
Savings.**